

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ़)

पीठारीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद पत्र सं० : 250 सन 2015

अनवान :-

1. बंशी पुत्र लेखु जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

वादी

बनाम

1. भादर पुत्र लेखु जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. मनोहरी पत्नि मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. बृजलाल पुत्र मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
4. महावीर पुत्र मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
5. भालसिंह पुत्र मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
6. राजेन्द्र पुत्र मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
7. सावित्री पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
8. कमला पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
9. मीरा पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
10. गुडडी पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
11. रामदेई पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
12. सुन्दर पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
13. विधा पत्नी रामेश्वर जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
14. कलावती पुत्री रामेश्वर जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
15. सुमित्रा पुत्री रामेश्वर जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
16. धर्मा पुत्री रामेश्वर जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
17. इन्द्रो पुत्री रामेश्वर जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
18. भूपसिंह पुत्री रेशमा पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
19. भतेरी पुत्री रेशमा पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
20. सुखी पुत्री रेशमा पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
21. प्रताप पुत्र फुला पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
22. बिमला पुत्री फुला पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
23. रानी पुत्री फुला पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
24. कमला पुत्री फुला पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण


वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक 07/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 188 के अन्तर्गत वाद इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 63/66 के प0न0 355/419(28) किला न0 1 ता 24/5.4410 हैव प0न0 355/420(39) के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 /3. 2890 हैव प0न0 0 मु0न0 72/12 के किला न0 0/2 की 0.1250 हैव गै.मु.रास्ता कुल 8. 8550 हैव भूमि जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 -- 1/3 हिस्सा मनीराम फोट


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नोहर

जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 24 है जिनके हक हिस्सा के अनुसार भूमि दर्ज की जाये।

उक्त वाद भूमि सयुक्त खाता में दर्ज है सयुक्त खाता में भूमि दर्ज रहने है भूमि की रकम जमा करवाने में तनाजा रहता है वादी अपने हक हिस्सा के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादीगण को अपने हक हिस्सा के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कई बार निवेदन किया तो आज कल आज कल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये है इसलिये यह दावा पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी के सयुक्त खाता में दर्ज हक हिस्सा के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण को वाद की सुचना प्राप्त एवं नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आये एवं प्रकरण राजस्व लोक अदालत कैम्प परलीका में प्रस्तुत होने पर वादी को सुना जाकर मजमे आम में वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया गया कि वाद भूमि में सयुक्त खातेदारों के हक हिस्सा के अनुसार अच्छी में से अच्छी माडी में से माडी के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करे।

तहसीलदार राजस्व नोहर ने अपने पत्रांक 5617 दिनांक 3.12.2018 को आदेशानुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये जो शामिल मिसल किये जाकर वकील वादी का सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करते हुए तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

पेरोकार राज ने भी तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खाता व लगान अलग अलग राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने में कोई ऐतराज नहीं किया बल्की सहमति जाहिर की गई।

हमने उभयक्षों की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से मुश्तरका खाते में दर्ज है कोई भी मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा एवं किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग करवाने का अधिकारी है वादी का वाद प्रतिवादीगण क सुचना उपरान्त न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर राजस्व लोक अदालत कैम्प परलीका में मजमे आम में प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर वाद भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के हक हिस्सा किस्म भूमि


के अनुसार तजबीज तकसीम की रिपोर्ट चाही गई।
उपरोक्त अधिकारी
नोहर

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में अपने पत्रांक 5617 दिनांक 03.12.2018 को तजवीज तकरीम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों को तजवीज तकरीम रिपोर्ट पर सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत तजवीज तकरीम की रिपोर्ट विधि सम्मत है जिसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

अतः तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट पर किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने के कारण बाद वादी तहसीलदार नोहर की तजवीज तकरीम रिपोर्ट के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि मनोहरी पत्नी मनीराम , कृजलाल महावीर , भालसिंह राजेन्द्र सावित्री कमला , गीरा, गुडडी , रामदेई, सुन्दर, पुत्र पुत्रीया मनीराम 11/14 हिस्सा विधा पत्नी रामेश्वर , कलावती, सुमित्रा , धर्मा , इन्द्रों पुत्री रामेश्वर बहिय 1/14 हिस्सा भूपसिंह , भतेरी , सुखी पुत्र पुत्रीया रेशमा पुत्री मनीराम बहिय 1/14 हि. प्रताप विमला रानी कमला पुत्र पुत्रीया फुला पुत्री मनीराम बहिय 1/14 हि. जाति मेघवाल निवासी परलीका खातेदार रोही मौजा चक 18 जेएसएन के प0न0 355/419(28) किला न0 1 ता 5/1.140 हैक् 0.125 हैक् रास्ता , 6 ता 10/1.265 ,13/1 की 0.168, 14/0.253 ,कुल 2.951 हैक् नहरी 2.826 हैक् गै0मु0 रास्ता 0.125 हैक् एवं बंशी पुत्र लेखु जाति मेघवाल निवासी परलीका खातेदार रहन पीएनवी शाखा परलीका मुर्त0 रोही मौजा चक 18 जेएसएन के प0न0 355/419(28) किला न0 13/2 की 0.085 ,11 ,12/0.506 ,17 ता 24/2.024 प0न0 355/420(39) किला न0 1/0.253 ,2/1 की 0.084 कुल 2.9520 हैक् नहरी तथा भादर पुत्र लेखु जाति मेघवाल निवासी परलीका खातेदार रोही मौजा चक 18 जेएसएन के प0न0 355/420(39) किला न0 2/2 की 0.169 ,3/0.253 ,8 ता 13/1.518, 18 ,19/0.506 ,22 ,23/0.506 कुल 2.9520 हैक् भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न 200/-रूपये का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीव तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

अन्तिम पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ़)

अनवान :-

1. बंशी पुत्र लेखु जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

बनाम

वादी

1. भादर पुत्र लेखु जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. मनोहरी पत्नी मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. बृजलाल पुत्र मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
4. महावीर पुत्र मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
5. भालसिंह पुत्र मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
6. राजेन्द्र पुत्र मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
7. सावित्री पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
8. कमला पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
9. मीरा पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
10. गुडडी पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
11. रामदेई पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
12. सुन्दर पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
13. विधा पत्नी रामेश्वर जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
14. कलावती पुत्री रामेश्वर जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
15. सुमित्रा पुत्री रामेश्वर जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
16. धर्मा पुत्री रामेश्वर जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
17. इन्द्रो पुत्री रामेश्वर जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
18. भूपसिंह पुत्री रेशमा पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
19. भतेरी पुत्री रेशमा पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
20. सुखी पुत्री रेशमा पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
21. प्रताप पुत्र फुला पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
22. बिमला पुत्री फुला पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
23. रानी पुत्री फुला पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
24. कमला पुत्री फुला पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संख्या 250 सन 2015 निर्णय दिनांक- 07/08/2020

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर आर0ए0एस0 उपखण्डाधिकारी, नोहर के समक्ष

अभिभाषक वादी / अधिवक्ता प्रतिवादी व परोकार राज की उपस्थिति में निर्णायार्थ

प्रस्तुत होने पर उभयपक्ष तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव पर सहमत होने के

कारण वाद वादी तहसीलदार राजस्व नोहर के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम

डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि मनोहरी पत्नी मनीराम , बृजलाल महावीर ,

भालसिंह राजेन्द्र सावित्री कमला , मीरा, गुडडी , रामदेई, सुन्दर, पुत्र पुत्रीया मनीराम

11/14 हिस्सा विधा पत्नी रामेश्वर , कलावती, सुमित्रा , धर्मा , इन्द्रों पुत्री रामेश्वर

बहिब 1/14 हिस्सा भूपसिंह , भतेरी , सुखी पुत्र पुत्रीया रेशमा पुत्री मनीराम बहिब

1/14 हि. प्रताप बिमला रानी कमला पुत्र पुत्रीया फुला पुत्री मनीराम बहिब 1/14 हि.


जाति मेधवाल निवासी परलीका खातेदार रोही गौजा चक 18 जेएसएन के प0न0

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

355/419(28) किला न0 1 ता 5/1.140 हैक 0.125 हैक रास्ता , 6 ता 10/1.265

,13/1 की 0.168, 14/0.253, कुल 2.951 हैव नहरी 2.826 हैव गै0गु0 रास्ता 0.125 हैव एवं बंशी पुत्र लेखु जाति मेघवाल निवासी परलीका खातेदार रहन पीएनबी शाखा परलीका मुर्त0 रोही मौजा चक 18 जेएसएन के प0न0 355/419(28) किला न0 13/2 की 0.085, 11, 12/0.506, 17 ता 24/2.024 प0न0 355/420(39) किला न0 1/0.253, 2/1 की 0.084 कुल 2.9520 हैव नहरी तथा भादर पुत्र लेखु जाति मेघवाल निवासी परलीका खातेदार रोही मौजा चक 18 जेएसएन के प0न0 355/420(39) किला न0 2/2 की 0.169, 3/0.253, 8 ता 13/1.518, 18, 19/0.506, 22, 23/0.506 कुल 2.9520 हैव भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न 200/- रूपये का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जायें। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/07/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

संशोधित अन्तिम पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ़)

अन्वयान :-

1. बंशी पुत्र लेखु जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
वादी

बनाम

1. भादर पुत्र लेखु जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. मनोहरी पत्नि मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. बृजलाल पुत्र मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
4. महावीर पुत्र मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
5. भालसिंह पुत्र मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
6. राजेन्द्र पुत्र मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
7. सावित्री पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
8. कमला पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
9. मीरा पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
10. गुडडी पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
11. रामदेई पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
12. सुन्दर पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
13. विधा पत्नी रामेश्वर जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
14. कलावती पुत्री रामेश्वर जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
15. सुमित्रा पुत्री रामेश्वर जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
16. धर्मा पुत्री रामेश्वर जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
17. इन्द्रो पुत्री रामेश्वर जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
18. भूपसिंह पुत्री रेशमा पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
19. भतेरी पुत्री रेशमा पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
20. सुखी पुत्री रेशमा पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
21. प्रताप पुत्र फुला पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
22. विमला पुत्री फुला पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
23. रानी पुत्री फुला पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
24. कमला पुत्री फुला पुत्री मनीराम जाति चमार निवासी परलीका तहसील नोहर
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संख्या 250 सन 2015 निर्णय दिनांक 7/9/2020

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आज यह प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी मुझ श्वेता कोचर आर0ए0एस0 उपखण्डाधिकारी,


नोहर के समक्ष अभिभाषक वादी / अधिवक्ता प्रतिवादी व पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी तहसीलदार राजस्व नोहर के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि मनोहरी पत्नी मनीराम , बृजलाल महावीर , भालसिंह राजेन्द्र सावित्री कमला , मीरा, गुडडी , रामदेई, सुन्दर, पुत्र पत्नीया मनीराम 11/14 हिस्सा विधा पत्नी रामेश्वर , कलावती, सुमित्रा , धर्मा , इन्द्रों पुत्री रामेश्वर बहिब 1/14 हिस्सा भूपसिंह , भतेरी , सुखी पुत्र पुत्रीया रेशमा पुत्री मनीराम बहिब 1/14 हि. प्रताप विमला रानी कमला पुत्र पुत्रीया फुला पुत्री मनीराम बहिब 1/14 हि. जाति मेधवाल निवासी परलीका खातेदार रोही मौजा चक 18 एनटीआर के प0न0 355/419(28) किला न0 1 ता 5/1.


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

140हैक् 0.125हैक् रास्ता , 6 ता 10/1.265 ,13/1 की 0.168, 14/0.253 ,कुल 2.

951 हैव नहरी 2.826 हैव गै0मु0 रास्ता 0.125 हैव एवं बंशी पुत्र लेखु जाति मेघवाल निवासी परलीका खातेदार रहन पीएनकी शाखा परलीका मुर्त0 रोही मौजा चक 18 एनटीआर के प0न0 355/419(28) किला न0 13/2 की 0.085 ,11 ,12/0.506 ,17 ता 24/2.024 प0न0 355/420(39) किला न0 1/0.253 ,2/1 की 0.084 कुल 2.9520 हैव नहरी तथा भादर पुत्र लेखु जाति मेघवाल निवासी परलीका खातेदार रोही मौजा 18 एनटीआर के प0न0 355/420(39) किला न0 2/2 की 0.169 ,3/0.253 ,8 ता 13/1. 518, 18 ,19/0.506 ,22 ,23/0.506 कुल 2.9520 हैव भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न 200/-रुपये का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जायें। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

संशोधित पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/9/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)